(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं.40/2023
दिनांकः 12 फरवरी, 2024

विषयः प्रकिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.36 में संषोधन।

समय–समय पर यथासंषोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेषक विदेष व्यापार, प्रकिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.36 के प्रावधान में निम्नलिखित संषोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 4.36	संषोधित पैरा 4.36
(vi) केवल ऐसे प्राधिकार–पत्रों को ही क्लब किया जाएगा जो पहले के प्राधिकार–पत्र जिन्हें क्लब किया जाने है, के जारी करने की तारिख से 18 महीनों के भीतर जारी किए गए हैं चाहे ऐसे प्राधिकार–पत्र मान्य हैं या नहीं हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि केवल पहले के प्राधिकार–पत्र के जारी होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर आयात पर ही क्लबिंग पर विचार किया जाएगा। पहले के प्राधिकार–पत्र के 30 महीनों के बाद किए गए किसी भी आयात को प्रक्रिया–पुस्तक के पैरा 4.49 के तहत नियमित किया जाएगा।	(vi) केवल ऐसे प्राधिकार–पत्रों को ही क्लब किया जाएगा जो पहले के प्राधिकार–पत्र जिन्हें क्लब किया जाने है, के जारी करने की तारिख से **24** महीनों के भीतर जारी किए गए हैं चाहे ऐसे प्राधिकार–पत्र मान्य हैं या नहीं हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि केवल पहले के प्राधिकार–पत्र के जारी होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर आयात पर ही क्लबिंग पर विचार किया जाएगा। पहले के प्राधिकार–पत्र के 30 महीनों के बाद किए गए किसी भी आयात को प्रक्रिया–पुस्तक के पैरा 4.49 के तहत नियमित किया जाएगा। **यह इस शर्त के अधीन है कि केवल पहले के प्राधिकार–पत्र के जारी होने की तारीख से 48 महीनों के भीतर निर्यात पर ही क्लबिंग पर विचार किया जाएगा। पहले के प्राधिकार–पत्र के 48 महीनों के बाद किया गया कोई भी निर्यात क्लबिंग के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।**

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.36 को व्यापार करने में सुगमता हेतु, अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के संबंध में क्लबिंग प्रावधानों को सुगम करने के लिए संषोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
12.2.2024
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/94/180/046/एएम24/पीसी–4 से जारी)